वन भूमि में परियोजना लगाने का औचित्य (JUSTIFICATION)

सवाई माधोपुर–श्योपुर–गोरस मार्ग रास्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 विस्तारीकरण एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिले जैसे– श्योपुर, मुरैना, गुना एवं शिवपुरी को जोड़ने में सहायक है। सवाई माधोपुर–श्योपुर–गोरस मार्ग का चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाना है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित चौनेज 0.000 से 48.900 की कुल लम्बाई 48.9 किलोमीटर है जिसमे प्रभावित होने वाली 20.568 हे० वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है प्रस्तावित वन भूमि को परियोजना निर्माण हेतु उपयोग में लाये जाने का क्या औचित्य है इस विषय के परिपेक्ष निम्नानुसार है।

चूँकि परियोजना में यातायात की वृद्धि लगातार होती जा रही है साथ ही भारी वाहनों की संख्या में भी दिन–ब–दिन वृद्धि होती जा रही है इसलिए मार्ग का चौडीकरण किया जाना आवश्यक है मार्ग के चौडीकरण के साथ–साथ इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है की मौजूदा मार्ग में तीव्र घुमावदार मोड़ को भी कुछ पहाड़ी ढलान/चढ़ाव काफी तीव्र है जिनसे भारी वाहनों को चढ़ने व उतारने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आये दिन दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है साथ साथ ही कुछ कस्बो गाँवो में भी विद्यमान मार्ग रेखा में बदलावकर बायपास प्रस्तावित किये गए है ताकि गाँवो व कस्बों में लगने वाले जाम तथा दुर्घटना से निजात पा सके।

अतएव उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब मौके पर विद्यमान मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु निरिक्षण किया गया तो पाया गया की मार्ग के कुछ हिस्सों में दोनों तरफ वन भूमि लगी हुई है और यदि मार्ग की उपरोक्त समस्याओं का निदान किया जाता है तो निशचित ही वन भूमि की आवश्यकता पड़ेगी

अतः उक्त मार्ग के उचित निर्माण हेतु वन भूमि का व्यपवर्तन किया जाना एक विकल्प है जो वन भूमि के व्यपवर्तन के औचित्य सहित प्रेषित है

G.V. Mishra
Executive Engineer
P.W.D. NH Division Gwali...